वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ज्ञानशिखा टाइम्स, हिन्दुस्तान, जनवार्ता, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 22.12.2025

कार्रवाई

वीडीए सभागार में पत्रकारों से बोले वीडीए उपाध्यक्ष, 15 दिन में 150 बीघे की प्लॉटिंग ध्वस्त

एक दिन में 100 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने रविवार को सभागार में कहा कि एक दिन में 100 बीघे की अवैध प्लॉटिंग जेसीबी से ध्वस्त कराई गई। बीते 15 दिनों में वीडीए ने 150 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई है।

अब तक प्राधिकरण क्षेत्र में 200 अवैध प्लॉट चिह्नित किए जा चुके हैं। जिन पर वीडीए ने कार्रवाई शुरू की है। बताया कि जोन-1 (वार्ड-शिवपुर) में तरना पेट्रोल पंप के पीछे अज्ञात की ओर से 32 बीघा, सातो महुआ पावर हाउस के उत्तर में अज्ञात की ओर से 6 बीघा, उंदी,(सुतबलपुर) में अज्ञात की ओर से 0.796 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। अनौरा,(गोसाईपुर) में पुरुषोत्तम अग्रवाल व रविंद्र अग्रवाल की ओर से 4.5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। पूर्व में नोटिस दिया गया था। सूचना देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जोन-2 (वार्ड-सारनाथ) में हिरावानपुर, हवेलिया क्रॉसिंग के आगे गोपाल यादव की ओर से लगभग 1.791 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई। यहीं पर राजू गुप्ता ने 1 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी।

हवेलिया चौराहे से आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास राजेश पटेल की ओर से 0.477 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। अरिहंत नगर कॉलोनी में अज्ञात की ओर से 0.796 बीघे में अवैध प्लॉटिंग हुई थी। सिंहपुर, रिंगरोड पर मनोज पटेल व राजेश पटेल की ओर से 1.194 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई। सिंहपुर में अज्ञात की ओर से 3.184 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई। हृदयपुर साईं ब्रह्म बाबा मंदिर, प्रदीप की ओर से 1.194 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। साईं उदयपुर, मौर्या गुड़ फैक्ट्री गजानंद तिवारी की ओर से 0.597 बीघे में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। जोन-3 (वार्ड-दशाश्वमेध) के मोहनसराय, मिल्कि चक में अंकित गुप्ता की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी।

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करती वीडीए की टीम। स्रोत : स्वयं

लोग मांगें रुपये तो वीडीए उपाध्यक्ष को करें फोन

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि मानचित्र स्वीकृति, निर्माण अनुमति, अवैध निर्माण, किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई के नाम पर अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से धनराशि की मांग की जाए तो तत्काल मोबाइल नंबर 7518102602 पर शिकायत करें। शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई की होगी। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रहेगी।

सात दिन में पास होगा लेआउट : वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि भूमि खरीदने से पहले लैंड यूज अवश्य जांच लें। लैंड यूज का आवासीय होना अनिवार्य है। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर जरूरी है। प्लॉटिंग और विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति के बाद ही करें। लेआउट जमा करने के बाद प्राधिकरण की ओर से 7 दिन में स्वीकृति दे दी जाएगी। वीडीए उपाध्यक्ष ने जनता से अपील की कि ले-आउट स्वीकृत प्लॉट से ही खरीदें।

दैनिक जागरण–दि0 22.12.2025

वीडीए की टीम ने तोड़ी 100 बीघा में अवैध प्लाटिंग

वीडीए की सख्ती के आगे कालोनाइजरों की एक नहीं चली, 12 बुलडोजरों से की गई कार्रवाई

- दोबारा प्लाटिंग मिलने पर कालोनाइजर संग प्रवर्तन टीम को कार्रवाई की चेतावनी
- कार्रवाई को रखा गया गोपनीय सुबह वीडीए कर्मियों को थमाई गई अवैध कालोनियों की सूची

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध जमीन की प्लाटिंग से हो रहे अनियोजित विकास को रोकने और सुनियोजित विकास कराने को लेकर रविवार को अवकाश के दिन वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर 100 बीघा जमीन पर गरजा। करीब ढाई सौ अधिकारियों-कर्मचारियों की 10 टीम ने 12 बुलडोजर के साथ अवैध प्लाटिंग को तोड़ना शुरू किया तो कालोनाइजरों में अफरा-तफरी मच गई। लग्जरी गाड़ियों से पहुंचे कालोनाइजरों की वीडीए की सख्ती के आगे एक नहीं चली।

वीडीए और पुलिस कर्मियों ने उन्हें डांटकर भगा दिया। अवैध प्लाटिंग तोड़ने के साथ ड्रोन से वीडियो और फोटोग्राफी कराई जा रही थी। वहां दोबारा प्लाटिंग मिलने पर कालोनाइजर संग प्रवर्तन टीम को कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्र ने सुबह 10 बजे वीडीए कार्यालय से अधिकारियों के नेतृत्व में 10 टीमें गठित कर सारनाथ, रिंग रोड किनारे, हरहुआ, बड़ागांव और राजातालाब क्षेत्र में भेजा। वीडीए में पहली बार ऐसा हुआ कि कार्रवाई की पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। किसी को यह नहीं मालूम था कि किस अधिकारी-कर्मचारी को कहां जाना है। अधिकारियों को चिह्नित अवैध कालोनियों की सूची थमाने के साथ तोड़ने का निर्देश दिया गया। वीडीए का बुलडोजर एक-एककर अवैध मकान और बाउंड्री तोड़ता रहा। रविवार को जोन एक, दो और तीन में कार्रवाई की गई। चार और पांच में एक साथ अवैध प्लाट तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मौके पर वीडीए ने अवैध कालोनी का बोर्ड भी लगाया। टीम में अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक/जोनल अधिकारी सौरभ जोशी, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, अधिशासी अभियंता लाला सतीश सुमन, जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, सौरभ देव प्रजापति व अशोक त्यागी आदि शामिल थे।

जनप्रतिनिधि और कालोनाइजर करने लगे काल: अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर गरजते ही जनप्रतिनिधियो और कालोनाइजरों के फोन अधिकारियों के मोबाइल पर आने लगे। कार्रवाई रोकने का दबाव आने पर कई अधिकारियों को मोबाइल बंद करने का निर्देश दिया गया।

हिरावनपुर में अवैध प्लाट की सड़क को बुलडोजर से उखड़वाते वीडीए सचिव व अन्य

शहर में यहां पर तोड़े अवैध प्लाट और मकान

जोन एक के शिवपुर वार्ड में।

- तरना (पट्रोल पंप के पीछे) में करीब 32 बीघा।
- सातोमहुआ (पावर हाउस के उत्तर) में करीब छह बीघा।
- उंदी, (सुतबलपुर) में0 .796 बीघा।
- अनौरा, (गोसाईपुर) पुरूषोतम अग्रवाल व रविन्द्र अग्रवाल की करीब 4.5 बीघा जमीन।

जोन दो के सारनाथ वार्ड में

- हिरावनपुर में गोपाल यादव की करीब 1.791 बीघा।
- हिरावानपुर में राजू गुप्ता की एक बीघा।
- हिरावनपुर में राजेश पटेल की 0.477 बीघा।
- अरहित नगर कालोनी में 0.796 बीघा।
- रिंगरोड सिंहपुर, मनोंज पटेल व राजेश पटेल की 1.194 बीघा।
- सिंहपुर में करीब 3:.184 बीघा।
- हदयपुर साई ब्रहमा बाबा मंदिर के पास प्रदीप उर्फ बबलू नेता की 1.194 बीघा।
- साईं उदयपुर, मौर्या गुड फैक्ट्री के पास गजानंद तिवारी की 0.597 बीघा।

जोन तीन के दशाश्वमेध वार्ड में

- मोहनसराय, मिल्किचक में अंकित गुप्ता की पांच बीघा।

अवैध प्लाटिंग तोड़ने के बाद वीडीए ने मौके पर लगाया बोर्ड • जागरण

अनियोजित विकास से बढ़ता है भ्रष्टाचार : वीडीए उपाध्यक्ष

पुर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वीडीए

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि अवैध प्लाटिंग को तोड़ने, के पीछे किसी का उत्पीड़न करना नहीं है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए अनियोजित विकास को रोका जा रहा है। अवैध कालोनी में वीडीए और नगर निगम दोनों विकास कार्य नहीं करा पाते हैं। विभागीय कार्रवाई होने पर जमीन खरीदने वाले की पूंजी डूबती है या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचता है। अवैध कालोनी से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। कालोनी के ले-आउट पास होने और आने वाले विकास शुल्क से उसी कालोनी में तत्काल विकास कार्य कराया जाएगा। वह रविवार को अपने कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ कालोनाइजर सस्ती जमीन के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। इससे लोगों को बचने की जरूरत है। अवैध प्लाटिंग या निर्माण में किसी भी वीडीए कर्मी की संलिप्तता मिलने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। कई अपार्टमेंट या व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट में कारोबार होने की शिकायत मिली है।

संबंधित खबरों के लिए क्यूआर कोर्ड स्कैन करें।

दैनिक भास्कर—दि0 22.12.2025

अवैध प्लाटिंग पर गरजा वीडीए का बुलडोजर

- 64 बीघा क्षेत्र में फैले अवैध प्लाटिंग किये गये ध्वस्त
- बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही थी प्लाटिंग

भास्कर ब्यूरो

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देशों व सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन 1, जोन 2 और जोन 3 की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने रविवार को विशेष कार्रवाई करते हुए कुल 64 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में बिना ले-आउट स्वीकृति के अवैध रूप से प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। इन सभी मामलों में पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। रविवार को ध्वस्तीकरण से पूर्व स्थलों पर सार्वजनिक सूचना (एनाउंसमेंट) कराई गई, जिसके बाद धारा 27(1) के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। जोन 1 के अंतर्गत वार्ड शिवपुर में मौजा तरना, सातोमहुआ, उंदी (सुतबलपुर) और अनौरा (गोसाईपुर) में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला। इन क्षेत्रों में अज्ञात व्यक्तियों सहित कुछ नामजद लोगों द्वारा करीब 43 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध रूप से प्लाट विकसित किए जा रहे थे, जिन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जोन 2 के वार्ड सारनाथ में हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग, अरहिंत नगर कॉलोनी, सिंहपुर रिंग रोड, हृदयपुर साईं ब्रह्मा बाबा मंदिर क्षेत्र और साईं उदयपुर में फैली अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। इन क्षेत्रों में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा करीब 11 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसे प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। जोन 3 के अंतर्गत मोहनसराय, मिल्किचक क्षेत्र में लगभग 5 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई। यहां भी पूर्व में नोटिस जारी किया गया था और रविवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की गई। अभियान में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी सौरभ जोशी, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा और लाला सतीश सुमन सहित अन्य अधिकारी, अभियंता और प्रवर्तन कर्मी मौके पर मौजूद रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स—दि0 22.12.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान, 64 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

जोन-1 वार्ड-शिवपुर- मौजा- तरना(पट्रोल पम्प के पीछे) अज्ञात द्वारा लगभग 32 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा- सातोमहुआ (पावर हॉउस के उत्तर) अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा-औसानपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 5.3 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा-उंदी,(सुतबलपुर) अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा- अनौरा,(गोसाईपुर) पुरूषोत्तम अग्रवाल व रविन्द्र अग्रवाल द्वारा लगभग 4.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग। आईओ उक्त चारो स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के तहत किया गया, सूचना करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया। जोन-2 -सारनाथमौजा-

हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे गोपाल यादव द्वारा लगभग 1.791 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे राजू गुप्ता द्वारा लगभग 1 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- हवेलिया चौराहे से आगे रेलवे क्रासिंग, राजेश पटेल द्वारा लगभग 0.477 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- अरहिंत नगर कालोनी, अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- सिंहपुर,रिंगरोड, मनोज पटेल व राजेश पटेल द्वारा लगभग1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- सिंहपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 3.184 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- हृदयपुर सांई ब्रहमा बाबा मंदिर, प्रदीप उर्फ़ बबलू नेता द्वारा लगभग 1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।मौजा- साईं उदयपुर,मौर्या गुड फैक्ट्री गजानंद तिवारी द्वारा लगभग 0.597 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।अवैध प्लाटिंग विकसित की ज़ा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को धारा-27 के तहत सूचना किया गया, सूचना करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया ।- मोहनसराय, मिल्किचक, अंकित गुप्ता द्वारा लगभग 5 बीघा में अवैध प्लाटिंग ।अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 21/12/2025 को धारा-27 के तहत सूचना किया गया, सूचना करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया। आवश्यक सूचनाभूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज अवश्य जाँच लें, लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है ।पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होना आवश्यक है। प्लॉटिंग एवं विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही करें । लेआउट जमा करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा 07 दिवस के अन्दर स्वीकृत दे दी जाएगी । उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

हिन्दुस्तान–दि0 22.12.2025

64 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। ड्रोन सर्वे के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की टीम ने रविवार को एक साथ सभी जोनों में अभियान चलाकर 64 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। यह जानकारी वीडीए के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

उन्होंने बताया कि यह पहली बार है जब सभी जोनों में एक साथ अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बीते दो सप्ताह के दौरान लगभग 150 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया जा चुका है। वीडीए उपाध्यक्ष ने कॉलोनाइजरों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्लाटिंग से पूर्व वीडीए से मानचित्र एवं मानकों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। मानचित्र का आवेदन प्राप्त होने के बाद सभी मानक पूर्ण होने पर एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे (एचएफएल) में अवैध निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

यहां चला बुलडोजर

शिवपुर वार्ड: शिवपुर वार्ड के अंतर्गत तरना में लगभग 32 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा सातोमहुआ में लगभग छह बीघा, उंदी के सुतबलपुर में करीब एक बीघा तथा अनौरा, गोसाईंपुर में कॉलोनाइजर पुरुषोत्तम अग्रवाल एवं रविंद्र अग्रवाल की लगभग 4 .5 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया।

सारनाथ वार्ड: सारनाथ वार्ड में हिरामनपुर क्षेत्र में गोपाल यादव की लगभग डेढ़ बीघा, राजू गुप्ता की एक बीघा तथा राजेश पटेल की लगभग आधा बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। वहीं अरहित नगर कॉलोनी में करीब एक बीघा क्षेत्र में की गई अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया। सिंहपुर में मनोज पटेल एवं राजेश पटेल की दो बीघा तथा एक अन्य कॉलोनाइजर की लगभग तीन बीघा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई।

जनवार्ता–दि0 22.12.2025

वीडीए का तीन जोनों में बड़ा एक्शन, 64 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

शिवपुर, सारनाथ और दशाश्वमेध क्षेत्र में ध्वस्तीकरण से मचा हड़कंप

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर तथा सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण की जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 की प्रवर्तन टीमों ने संयुक्त रूप से अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध विशेष अभियान रविवार को चलाया। जिसको लेकर एक प्रेसवार्ता वीडीए परिसर में आयोजित हुई। जिसमें वीडीए उपाध्यक्ष ने जनवार्ता की टीम सहित अन्य पत्रकारों से बातचीत में बताया कि लगभग 64 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसमें जोन-1 के शिवपुर क्षेत्र में तरना, सातोमहुआ, उंदी (सुतबलपुर) एवं अनौरा (गोसाईपुर) में बिना स्वीकृत ले-आउट विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग, सिंहपुर, हदयपुर एवं साई उदयपुर सहित विभिन्न स्थलों पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। इसी तरह जोन-3 के दशाश्वमेध क्षेत्र अंतर्गत मोहनसराय (मिल्किचक) में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला। इसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के पश्चात धारा 27(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वीडीए वीसी ने लोगों से अपील की है कि कोई दिक्कत आने पर वीडीए में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मुझसे मिल सकते हैं। भूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज अवश्य जांचें, केवल स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें तथा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण न करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वीडीए वीसी ने कहा- बगैर ले-आउट स्वीकृति के निर्माण पर कड़ी कार्रवाई

रविवार को वीडीए का बुलडोजर अवैध तरीके से की गयी प्लाटिंग को ध्वस्त करता हुआ।

परफेक्ट मिशन–दि0 22.12.2025

वीडीए ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध चलाया बड़ा अभियान

64 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशों के क्रम में तथा सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन-1,जोन- 2, जोन- 3,की प्रवर्तन टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 64 बीघा क्षेत्रफल में रविवार को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

वीडीए की प्रवर्तन टीम नेजोन-1 वार्ड-शिवपुर के मौजा-तरना(पट्रोल पम्प के पीछे) अज्ञात द्वारा लगभग 32 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-सातोमहुआ (पावर हॉउस के उत्तर) अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-उंदी,(सुतबलपुर) अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-अनौरा,(गोसाईपुर) पुरूषोत्तम अग्रवाल व रविन्द्र अग्रवाल द्वारा लगभग 4.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग। उक्त चारो स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी जिसके क्रम में रविवार को सूचना करने के बाद धारा-27 (1) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इसी क्रम में जोन-2 वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे गोपाल यादव द्वारा लगभग 1.791 बीघा में अवैध प्लाटिंग।मौजा- हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग के आगे राजू गुप्ता द्वारा लगभग 1 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-हवेलिया चौराहे से आगे रेलवे क्रासिंग, राजेश पटेल द्वारा लगभग 0.477 बीघा में अवैध प्लाटिंग।मौजा- अरहिंत नगर कालोनी, अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-सिंहपुर,रिंगरोड, मनोज पटेल व राजेश पटेल द्वारा लगभग1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग।मौजा- सिंहपुर, अज्ञात द्वारा लगभग 3.184 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा- हृदयपुर सांई ब्रहमा बाबा मंदिर, प्रदीप उर्फ बबलू नेता द्वारा लगभग 1.194 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा- साईं उदयपुर,मौर्या गुड फैक्ट्री गजानंद तिवारी द्वारा लगभग 0.597 बीघा में अवैध प्लाटिंग। अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर पूर्व में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी जिसके क्रम में धारा-27 (1) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया। जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध में मौजा- मोहनसराय, मिल्किचक, अंकित गुप्ता द्वारा लगभग 5 बीघा में अवैध प्लाटिंग।अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी धारा-27 (1) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया। मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक/जोनल अधिकारी ज़ोन-01 सौरभ जोशी, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अधिशासी अभियंता लाला सतीश सुमन, जोनल अधिकारी प्रकाश, सौरभ देव प्रजापति व अशोक त्यागी, समस्त अनुभाग अध्यक्ष एवं अवर अभियंता उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 22.12.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने भ्रष्टाचार रोकने को उठाया सख्त कदम

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाने के उद्देश्य से वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत मानचित्र स्वीकृति, निर्माण अनुमति, अवैध निर्माण अथवा किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही के नाम पर यदि किसी कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत सीधे उपाध्यक्ष महोदय के मोबाइल नंबर 7518102802 पर की जा सकती है।उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वाराणसी विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति एवं निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार व पारदर्शी तरीके से संपादित की जाएं। किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध वसूली अथवा भ्रष्ट आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी, जिससे आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें। उपाध्यक्ष ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध मांग के आगे न झुकें तथा तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।